"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 जनवरी 2003—माघ 2, शक 1924

वित्त तथा योजना विभाग

(वाणिज्यिक कर विभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/7/2003/वा.क./पांच (7).—चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 एवं केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचना क्रमांक ए-3-14-92-वि.क.-पांच (50), दिनांक 3 जून, 1993 में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में अंकों एवं शब्दों "11वें वर्ष के अंत तक" के स्थान पर अंकों एवं शब्दों "16वें वर्ष के अंत तक" को प्रतिस्थापित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-10/7/2003/वा.क./पांच (7).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/7/2003/वा.क./पांच (7), दिनांक 22-1-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd January 2003

NOTIFICATION

No. F-10/7/2003/CT/V (7).—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by Section 17 of the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and Sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby makes the following amendment in the Notification No. A-3-14-92-ST-V (50), dated 3rd June, 1993, namely :—

AMENDMENT

In the preamble to the said notification for the figures and words "upto the end of the 11th year" the figures and words "upto the end of the 16th year" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.